न्यायालय–मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, बेतिया

बेतिया मु0 मनुआपुल – 479/2021

दिनांक–22/01/2022

बेतिया मु0 मनुआपुल थाना कांड संख्या–479/2021 के अन्तर्गत दिनांक 07/01/2022 से कारांबदी अभियुक्त बृजेश शर्मा की ओर से उनका जमानत आवेदन को आनलाईन/वर्चुअल मोड में संचालित करते हुए उनके विद्वान अधिवक्ता की ओर से कथन किया गया कि वह निर्दोष है। उसे इस वाद में झूठा फंसाया गया हैं तथा उसके द्वारा कोई दूसरा जमानत आवेदन किसी अन्य न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया हैं। आवेदक अभियुक्त पूर्व में एक अपराधिक इतिहास है। वह न्यायालय के संतुष्टि के आधार पर किसी भी राशि का बंधपत्र देने को तैयार हैं। इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाय। जमानत आवेदन की प्रति विद्वान जिला अभियोजन पदा0 को प्रदान की गयी।

विद्वान जिला अभियोजन पदाधिकारी की ओर से जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

सूचक स0 अ0 नि0 रामबाबु चौधरी के लिखित आवेदन में वर्णित अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 14/08/2021 को सयम करीब 07:00 बजे सुबह में सूचक छापामारी में था। तभी सूचक को गुप्त सूचना मिली कि अभियुक्त विजय प्रसाद ने अपने घर में कुछ कमरे किराये पर आर्केस्ट्रा चलाने हेतु दिए है तथा कुछ कमरो में नकली शराब छिपाकर रखे है। गुप्त सूचना के आधार पर सूचक ने अपने अन्य पुलिसकर्मी के साथ अभियुक्त विजय प्रसाद के घर पर छापा मारा तो उक्त अभियुक्त के घर से एक लड.का प्लास्टिक का बोरा लेकर भागने का प्रयास किया लेकिन सूचक ने अपने अन्य पुलिसकर्मी के सहयोग से पकड लिया। पकडाये गये व्यक्ति का नाम पूछा गया तो अपना नाम बृजेश शर्मा बताया। जब सूचक ने बोरी को खोलकर देखा तो उसमें मादक पदार्थ मिला। जब उक्त लड.के से मादक पदार्थ के बारे पूछा गया तो उसने बताया कि विजय प्रसाद ने अपने घर से गांजा ले जाकर बाहर छिपाकर रखने के लिए बोला था।

उभय पक्षों को सुना एवं वाद अभिलेख का अवलोकन किया। वाद अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक अभियुक्त प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त है। इस वाद में भा0 द0 वि0 की धारा 147, 148, 149, 341, 323, 353, 224, 225, 332, 333, 427, 504, 506 के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज की गयी है, जिसमें भा0 द0 वि0 की धारा 353, 332, 333 अजमानतीय है। सूचक ने आवेदक अभियुक्त पर अन्य अभियुक्तो के साथ मिलकर पुलिसकर्मी पर हमला करने, अभद्र व्यवहार करने एवं नकली शराब बनाने या बिक्री करने का आरोप है। कांड अनुसंधान के क्रम में है। आवेदक अभियुक्त के विरूद्व लगाये गये आरोप की गंभीरता को देखते हुए यह न्यायालय आवेदक अभियुक्त को जमानत की सुविधा का लाभ देना न्यायोचित नहीं समझती है। तद्नुसार आवेदक अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन दिनांक 20–01–2022 खारिज किया जाता है।

लेखापित

मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी